## ***स्थापना***

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक -1980 को स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त 01 अक्टूबर, 1980 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना हुई |*

*उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एक निगमित निकाय है जो 01 नवम्बर, 1982 से कार्य करना किया | सम्प्रति आयोग में अध्यक्ष के अतितिक्त छः सदस्य नियुक्त किये जाने का प्राविधान है | अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा अधिकतम 68 वर्ष की आयु ( जो पहले हो ) तक नियत है जबकि सदस्यगण का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु ( जो पहले हो ) तक नियत है | मा० अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है |*

*आयोग में एक सचिव, एक उप सचिव एवं एक लेखाधिकारी का पद सृजित है | सचिव के पद पर राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जाती है जो वरिष्ठ आई०ए०एस० स्तर का अधिकारी होता है और उनकी सेवा शर्तें वैसी होती हैं जैसे प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत तैनाती हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाती है |*

*उप सचिव के पद पर राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जाती है जो वरिष्ठ पी०सी०एस०/ पी०ई०एस०(एह०) स्तर का अधिकारी होता है और उनकी सेवा शर्तें वैसी होती हैं जैसे प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत तैनाती हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाती है |*

*लेखाधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जाती है | इस पद पर लेखा संवर्ग के पी०सी०एम०/ आडिट संवर्ग का अधिकारी नियुक्त होते है और उनकी सेवा शर्तें वैसी होती हैं जैसे प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत तैनाती हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाती है |*

## ***उद्देश्य***

*उत्तर प्रदेश के अशासकीय, अनुदानित मान्यता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पदों पर यू०जी०सी० एवं राज्य सरकार के मापदण्ड के अनुसार उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन करना |*

## ***अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय***

*उत्तर प्रदेश में 331 (अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर ) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय हैं जिसमें प्राचार्य के 331 पद एवं सहायक आचार्य के कुल 11,272 पद विभिन्न विषयों में शासन द्वारा स्वीकृत हैं | प्रत्येक शिक्षा वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मॉस की रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही लिखित परिक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न की जाती है | रिक्तियों की सूचना*

*शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा प्रषित की जाती है और आयोग उन रिक्तियों पर चयन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को चयन के सूची के समस्त अप्रक्षित अभिलेखों के साथ भेजता है |*

*आयोग अपने स्थापना वर्ष से 2008 तक शैक्षिक रूप से उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से करता रहा है किन्तु वर्ष 2008 से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित पराक्षा को भी शामिल कर लिया गया |*

*अपने स्थापना वर्ष से आज तक आयोग पूरी सुचिता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन करता आ रहा है |*